

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर)

ट्रॉसपोर्ट वाउचर

विद्यालय का नाम यू.डाईस कोड.....

विद्यालय का प्रकार - पीईईओ / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय

ट्रॉसपोर्ट वाउचर प्राप्त राशि दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में ट्रॉसपोर्ट वाउचर राशि रु. का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि है एवं शेष राशि व पूर्ण अवशेष राशि रु0 कुल राशि रु0 बची थी जिसे चालान/चैक/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट संरख्या दिनांक द्वारा समर्पित कर दिया गया है / जमा करा दिया है, इसका आगामी वर्ष में देय सहायता अनुदान में समायोजित कर लिया जायेगा।

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में ट्रॉसपोर्ट वाउचर की कुल प्राप्त राशि	शैक्षणिक सत्र 2019-20 में ट्रॉसपोर्ट वाउचर की कुल उपयोग की गई राशि नि:शुल्क सामूहिक ट्रॉसपोर्ट सुविधा में	बैंक स्थाने में संघीय लाभान्वित	कुल उपयोग की गई राशि	विद्यालय में शेष राशि

दिनांक :

हस्ताक्षर एवं नाम
संस्था प्रधान

नोट:- बैंक से प्राप्त व्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यालय ब्लॉक जिला

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (ब्लॉक स्तर)

ट्रॉसपोर्ट वाउचर

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में ब्लॉक जिला के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई ट्रॉसपोर्ट वाउचर की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा ट्रॉसपोर्ट वाउचर हेतु परिषद् से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :-

क्रसं	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि	ट्रॉसपोर्ट वाउचर			वि. वि.
				प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (जिला स्तर)
ट्रॉसपोर्ट वाउचर

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में जिला को ट्रॉसपोर्ट वाउचर मद में प्राप्त राशि रूपये में से कुल प्राथमिक, कुल उच्च प्राथमिक, कुल माध्यमिक एवं कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि जारी की गई एवं राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार हैं।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी
.....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
.....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
.....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
.....